# बिहार विधानसभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

[भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि 14 जुलाई, 1982।

विषय-सूची


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श: | 1—27 |
| मुंगेर जिला के धरहरा थानान्तर्गत बंगलवा गांव में हुए उपद्रव | |
| अध्यक्षीय घोषणा : | 27 |
| स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ : | 28 |
| शून्य-काल की चर्चाएँ : | 29—33 |
| (क) श्री विनोद सिंह, स० वि० स० की गिरफ्तारी | |
| (ख) मखवा ग्राम में ट्रांसफारमर की व्यवस्था | |
| (ग) बिहार सैनिक पुलिस में आरक्षण की उपेक्षा | |
| (घ) श्री फतरंगी राम के परिवार को सुरक्षा प्रदान करना | |
| (ङ) दारोगा के ऊपर आवश्यक कारंवाई | |
| (च) सूर्यगढ़ा को अकाल क्षेत्र घोषित करना | |
| (छ) एफ० आई० आर० में दर्ज अभियुक्त की गिरफ्तारी | |
| (ज) बागमती नदी से नारायणपुर गांव का कटाव | |
| (झ) गया जिला में उर्दू शिक्षकों की बहाली | |
| (ञ) सुखाड़ से मुकाबला करने का प्रयास | |

| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| ध्यानाकर्षण सूचना एवं उस पर सरकारी वक्तव्य : | 33—36 |
| (अ) तदर्थ नियुक्ति से कार्यरत अभियन्ताओं की समक्ष परेशानी | |
| (ब) चिकित्सालय का विकास एवं विस्तार | |
| अस्थावश्यक लोकमहत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण | 36—38 |
| (अ) श्रीमती फूलमती देवी के साथ बलात्कार | |
| (ब) सिरिसिया प्रतिष्ठान में अवैध तालाबन्दी | |
| (स) घाघरा नदी से भयंकर कटाव : | |
| आय-व्ययक : 1982-83 वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : वन : (स्वीकृत) : | 38 |
| कटौती-प्रस्ताव : इस खर्च के औचित्य पर विचार-विमर्श : (अस्वीकृत) : | 38—84 |
| निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना : | 85 |
| दैनिक-निबन्ध : | 87—92 |

टिप्पणी—जिन्हीं भी मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

---

बुधवार, तिथि 14 जुलाई, 1982।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार, तिथि 14 जुलाई, 1982 को पूर्वाह्न 9 बजे अध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

## सामान्य लोकहित के प्रश्न पर विमर्श :

### मुंगेर जिला के धरहरा थानान्तर्गत बंगलवा गांव में हुए उपद्रव।

श्री राजकुमार पूर्वे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुंगेर जिला के धरहरा थाना के बंगलवा गांव में हुए दंगे से उत्पन्न परिस्थिति पर यह सदन वाद-विवाद करे।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझे कहना है कि इस घटना का सवाल यहां है, सरकार की नजर में कोई साम्प्रदायिक दंगा होता ही नहीं है, इसके बारे में कहा गया है कि दो क्रिमिनल गुटों की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, यह सरासर सरकार का ब्यान गलत है और इसको हम गलत मानते हैं। इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं और सरकार से इसपर जवाब चाहूंगा। इसमें 13 आदमी मारे गये हैं। रामेश्वर साहु को 11 से 12 बजे के बीच में करैला गांव के पास हत्या की गयी। बंगलवा गांव और छिलका गांव में जो हत्यायें हुई हैं, हमलोग वहां गये थे। उसमें 13 आदमी मारे गये हैं। मो० इसाक—45 वर्ष, जमाल मियां—5 वर्ष, मेमोनिसा—60 वर्ष, जो तीनों एक ही परिवार के हैं। एतवारी मियां, रजाक मियां, रजाक मियां की बीबी, रजाक मियां की पतोहू, रजाक मियां के दो लड़के और रजाक मियां की पोती जो 6 महीने की थी ये सब एक ही परिवार के हैं। नाटो मियां और नाटो मियां की बीबी, ये दोनों एक परिवार के हैं और मोईन मियां। अध्यक्ष महोदय, ये 13 एक ही सम्प्रदाय के लोग मारे गये हैं। मैं मुख्य मन्त्री को चाइलेंज करता हूं। इनमें से किसी का क्रिमिनल में नाम है तो बतावें। इस तरह पर्दा क्यों डालते हैं ? एक कौम को कतलेआम किया गया है। दो घंटे में रामेश्वर

साँढु की हत्या की गयी है। दो घंटे में एक साथ कई गांव के लोग हमला किये हैं। अगर पहले से आग नहीं उगलता रहता तो यह नहीं होता। यह सुनियोजित घटना थी। वहां कोम्युनल लड़ाई बहुत पहले से हो रही थी। बी०बी०सी० से कहा गया है कि कोम्युनल लड़ाई है। वहां पुलिस बरकरार रहना चाहिए।

उसी गांव के अंदर नामी ग्रामी एक कांग्रेसी श्री भगवानदास डोलिया 14-15 तारीख को मीटींग किये थे और उनके साथ एक आदमी श्री डी० वी० शरण थे जो अपने को ए० आई० सी० सी० के मेम्बर कहते थे और अपना पता बताये थे। 13/39, गांधी नगर, दिल्ली। दोनों आदमी 18 तारीख को दिल्ली से आकर मीटिंग किये थे। मैं जानना चाहता हूं कि श्री भगवान दास डोलिया आप की पार्टी के आदमी हैं कि नहीं ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र (बैठे-बैठे)—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं।

श्री राजकुमार पूर्वे—श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तथा एस० डी० ओ० के सामने वे कहते थे कि ए० आई० सी० सी० के मेम्बर हैं और कहते थे कि मेनका गांधी के जाने के बाद क्या स्थिति है इसको देखने वे आये थे। वह आदमी फ्रौड है। वह दूसरी जगह पकड़ा गया है। इस तरह से दंगा के पीछे इनलोगों का हाथ है। सोमवार को मीटींग हुई है कम्युनल दंगा कराने के लिये। हिन्दू सम्प्रदाय के लोग, कांग्रेस के लोग पहले 13, 14 जून को मीटिंग करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन मीटिंग होती है और पुलिस वहां मौजूद थी और सोमवार को मीटिंग होती है और शनिवार को दंगा होता है तो पुलिस वहां से क्यों हट गयी ? इसलिये पुलिस के मेल से, कांग्रेस के मेल से यह साम्प्रदायिक दंगा हुआ है और बगल के बनबरसा गांव में लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है, वे लोग जय काली, जय दुर्गा, बोल बम का नारा देते हुए दंगा किये थे। लाठी की ट्रेनिंग कौन देते हैं इसको क्या मुख्य मंत्री बतावेंगे ? बोल बम की तरफ से दिया जाता है कि किसी और से दिया जाता है ? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना आइसोलेटेड नहीं है। मुख्य मंत्री की नजर में बिहार में कहीं भी दंगा हिन्दू-मुसलमान का दंगा होता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि बगल में फुलवारी शरीफ में लगातार टेंशन चल रहा है।

अध्यक्ष—आप उस पर मत जाईए।

श्री राजकुमार पूर्वे—भररिया में दंगा होता है, बिस्फी में, बेनीपट्टी (मधुबनी) में टेंशन फैला हुआ है। यह सुनियोजित है, अपने आप नहीं हुई है। इसको कराने

में सत्ता दल का हाथ है और सरकार इसीको कराकर चल रही है। बिहार प्रान्त चारों तरफ धधक रहा है। सरकार को बंगलवा गांव से सबक लेनी चाहिये। आज कांग्रेस के अन्दर कम्युनल एलेमेन्ट, क्रिमिनल एलमेंट का जमाव हो रहा है। आज मिश्रजी वहां बैठकर कभी कहते हैं कि लोकदल ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनल है, कभी कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है जैसा कि जितेन्द्र नारायण की रिपोर्ट है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ के साथ मिलकर राष्ट्रपति को वोट देती है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये लोग जितेन्द्र नारायण की रिपोर्ट को लेकर बी० जे० पी० को डराते हैं और उनका मुंह बन्द करने के लिए कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में रायट हुआ, सब जगह रायट हुआ और बंगलवा में जब रायट हुआ तो वहां भी बी० एम० पी० रखा गया। जब जमशेदपुर में रायट हुआ और वहां बी० एम० पी० रखा गया तो उस बी० एम० पी० के बारे में जितेन्द्र नारायण कमीशन ने क्या लिखा है वह मैं पढ़ देता हूं :—

"Composition, training, discipline and leadership in the B. M. P. leaves much to be desired.;

उसी तरह से बी० एम० पी० के बारे में जितेन्द्र नारायण की रिपोर्ट है फिर आप बी० एम० पी० को बंगलवा या जहां भी दंगा होता है क्यों रखते हैं। उसी तरह से उसमें लिखा है कि बाला साहेब देवरस कहते हैं कि :

Balasaheb Deoras spoke that "Hindus in their own country are not allowed to take out religious processions freely and that the number of mosques are increasing day by day in the Arabian countries but Hindus are not allowed to construct temples;

आप एक तरफ जितेन्द्र नारायण रिपोर्ट की बड़ी चर्चा करते हैं लेकिन आप बाला साहेब देवरस को क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं, जितेन्द्र नारायण आयोग की रिपोर्ट पर क्यों नहीं ऐक्शन लेते हैं? हमलोग डिमान्ड करते हैं कि भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उनको पकड़िये। लेकिन हमलोग जानते हैं कि आप उन्हें नहीं पकड़ियेगा क्योंकि आप खुद इनसे मिले हुए हैं। आपको इस्तीफा देना चाहिए और पूरी घटना को सी० बी० आई० से जांच करवाईये। मुख्य मंत्री जी कम्युनल और क्रिमनल के

शव पर राज करना चाहते हैं इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं चूंकि इस हाउस में इनका बहुमत है इसलिए कम्यूनल और क्रिमनल सरकार को हटाने के लिए आन्दोलन करें।

श्री भोला सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राजकुमार पूर्वे ने अपने प्रस्ताव के द्वारा जिन तथ्यों की चर्चा की है यह उनके दिमाग की मन गढ़न्त घटना है और मुझे इस बात से काफी तकलीफ हुई है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसने आजतक इस आर० एस० एस० के खिलाफ संघर्ष किया, जिस पार्टी को उसने साम्प्रदायिक पार्टी की संज्ञा दी आज उस संगठन का नाम लेने में भी वे शर्म का अनुभव करते हैं और हिचकिचाते हैं। ये उस संगठन का नाम नहीं लेते हैं। इससे यह बात साफ है कि श्री राजकुमार पूर्वे ने उस साम्प्रदायिक संगठन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और उनकी पार्टी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। जहां तक हमारी पार्टी की बात है आजतक किसी भी साम्प्रदायिक संगठन के साथ न राष्ट्रीय स्तर पर, न क्षेत्रीय स्तर पर, न राज्य स्तर पर इसका सम्बन्ध रहा है। अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई, 1982 को जो घटना घटी है उसकी एक लम्बी कड़ी है। यह घटना एकाएक नहीं हुई है। एक लम्बी कड़ी के रूप में उसका स्वरूप है। मैं आप को कहना चाहता हूं कि 3 सितम्बर, 1975 को डॉक्टर इशाक ने रामेश्वर साव और इनलोगों के खिलाफ एक केस किया—आर्म्स ऐक्ट का। रामेश्वर साव कुख्यात दुष्कर्मी था और उस गांव में डॉ० अर्जुन साव और डॉ० इशाक दोनों होमियोपैथिक डॉक्टर थे। डॉ० इशाक लोकप्रिय थे, समाज में प्रतिष्ठित थे और दोनों डॉक्टर के बीच में पेशा को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा रहती थी।

दोनों डाक्टरों के बीच में पेशे को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा रहती थी और वह एक तनाव का भी स्वरूप था। श्री रामेश्वर साव सस्ते गल्ले के दुकान के डीलर थे जिनकी हत्या 3 जुलाई, 1982 को हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बंगलवा गांव के छबीला यादव जो दुष्कर्मियों का नेता था उसकी हत्या 3 फरवरी, 1976 को ही कर दी गयी थी। श्री सच्चिदा यादव जो सरपंच थे उनकी हत्या 10 मार्च, 1979 को वंशरोपण यादव जो मुखिया थे उनके लोगों ने कर दी। श्री छबीला यादव के गिरोह के जो प्रमुख हुए थे उनकी हत्या 10 मार्च, 1979 को जिस दिन प्रमुख निर्वाचित हुए उसी दिन कर दी गयी थी। उस हत्या कांड में जो मुदालेह बनाये गये उसमें परमेश्वर मंडल, तिलो मंडल, चांद मियां और रामेश्वर साव थे। इससे साफ पता चलता है कि जो अपराधकर्मियों के दो गिरोह थे वह जाति और सम्प्रदाय के आधार पर नहीं थे वे दोनों गिरोह अपराधकर्मी थे। दोनों गिरोह में

तमाम जातियों के लोग थे, जो लोगों को लूटते थे, हत्या करते थे और इस तरह हत्याओं का एक चेन बनता चला गया। 29 दिसम्बर, 1981 को छबीला यादव के समर्थकों ने चांद मियां की हत्या बम मारकर कर दी। इसमें रामेश्वर साव, रमेश पासवान और छेदी यादव का हाथ था और रामेश्वर साव की भूमिका बड़ी थी। चांद मियां की हत्या जब 29 दिसम्बर, 1981 को हो गयी तो चांद मियां के गिरोह के लोग रामेश्वर साव की हत्या की ताक में थे और 3 जुलाई, 1982 को रामेश्वर साव की हत्या कर दी गयी। जब रामेश्वर साव की हत्या कर दी गयी तो उनके जो गिरोह के लोग थे उनलोगों ने काफी मुस्तैदी के साथ और काफी तेजी के साथ जो उस गांव के रहने वाले लोग थे बंगलवा गांव और बगल के गांव पर हमला कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस हमले में, बंगलवा जो 200 घर का गांव है जिसमें पचास मुसलमानों के घर हैं और दूसरी जातियों के लोग हैं, मिश्रित जाति के लोग रहते हैं। इसलिए उसको साम्प्रदायिक दंगा नहीं कहा जा सकता है। साम्प्रदायिक दंगे धार्मिक स्थल में हुआ करते हैं लेकिन इस दंगे में किसी भी मंदिर अथवा मस्जिद पर कोई हमला नहीं किया गया इसलिये यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग इसे साम्प्रदायिक दंगे का नाम देकर बिहार में हिन्दू-मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और बिहार में अस्थिरता की स्थिति लाना चाहते हैं। इस तरह का आरोप मैं लगाना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो 17 आनन्दमार्गियों की हत्या पुलिस की नाक के नीचे कलकत्ता में दिन दहाड़े की गयी उसे आप क्या कहते हैं?

(शोरगुल)

अध्यक्ष—अब समाप्त करें।

श्री भोला सिंह—अब मैं समाप्त करता हूं। 24 घंटे के अन्दर इस राज्य के मुख्यमंत्री घटना स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर ग्रामीणों की सभा की जिसमें सभी जाति के लोग उपस्थित थे और सबों ने कहा कि यह दो अपराधकर्मियों के बीच के गिरोह का संघर्ष है यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद सरकार ने कई राहत कार्य किए हैं। सरकार ने मृतक परिवारों को पांच-पांच हजार रुपया अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की। जले घर के लिए दो हजार रुपया अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गयी है और 1,500 रुपया सहाय्य राशि स्वीकृत की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने काफी मुस्तैदी से तत्परता से कारंवाई की है। विरोधी दल के लोग इसे साम्प्रदायिक दंगे की संज्ञा देने की जो

साजिश की है वह सफल नहीं होगी। उनको मालूम होना चाहिए साम्प्रदायिक दंगे में, पहले भी कारंवाई सरकार द्वारा की गयी है। सामूहिक हत्या करने वालों को फांसी की सजा हुयी है। पीपराकांड और बिहारशरीफ में दोषी को सजा हुई। लेकिन वंगलवा ग्राम में जो घटना घटी है वह दो गिरोह के संघर्ष की घटना है साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। आप बिहार में तनाव और अव्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सरकार ने और पुलिस ने काफी तत्परतापूर्वक कारंवाई की है यह कदापि साम्प्रदायिक दंगा नहीं था।

श्री मुंशीलाल राय—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री भोला सिंह का भाषण सुन रहा था। आज इस सदन में वंगलवा गांव की घटना की चर्चा हो रही है। मैं उस गांव में गया था। अध्यक्ष महोदय, श्री भोला सिंह को कुछ तो घटना की जानकारी सरकारी स्तर से दी गयी है। कभी-कभी भोला बाबू इसी तरह से बोलते रहते हैं। पता नहीं इसके बाद भी वे हटा दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस घटना के क्रम में मुझे निवेदन करना है कि घटना 3 जुलाई, 1982 को घटती है और 13 निर्दोष मुसलमानों का हत्या कर दी जाती है। इस घटना की निन्दा जितनी भी की जाय, मेरे समझ से कम है। 3 जुलाई, 1982 को तीन-चार बजे के बीच घटना घटती है और 13 मुसलमान मारे जाते हैं जिनमें 5 महिलायें थीं और 2 बच्चे भी हैं। ये जितने लोग थे वे निर्दोष थे और इस घटना की जितनी निन्दा की जाय कम है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना का क्रम कुछ आगे से ही चलता रहा है। 1978 में छबीला यादव की हत्या हुयी। श्री छबीला यादव की हत्या के बाद वंगलवा गांव के श्री श्रवण विंद की हत्या 1978 में हुयी। श्री छबीला यादव वंगलवा गांव के ही रहने वाले थे। श्री विंद के हत्या के बाद चांद मियां की हत्या 1981 में हुयी। इसके बाद श्री रामेश्वर साव की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 1978 से दोनों ग्रूप में झगड़ा था। लेकिन एक बात सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर दो ग्रूप की सही घटना मान भी ली जाय तो 11 बजे दिन में श्री रामेश्वर साव की हत्या कर दी गयी जो बगल के गांव में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस जो वहां प्रतिनियुक्त थी उसे क्यों हटा लिया गया, है आपको शर्म ? आपको शायद मालूम नहीं है कि 30 तारीख को पुलिस को हटा लिया गया। तीन पुलिस-कर्मियों ने कहा कि तीन पुलिस कर्मचारी बीमार हो गये और तीन राइफल रखने वाले चले गये। मजिस्ट्रेट को इसका पता नहीं है। श्री कर्पूरी ठाकुर के सामने सिविल एस० ओ० ओ० ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि कैसे पुलिसकर्मी चले गये।

अपने उच्चाधिकारियों को सूचित भी नहीं किया। पुलिस ने स्वीकार किया है कि अगर पुलिस वहां पहले से प्रतिनियुक्त रहती तो घटना नहीं घटती। श्री रामेश्वर साव की हत्या 11 बजे हुई इसके लिए आपका सी० आई० डी० दोषी है। जिस समय श्री रामेश्वर साव की हत्या हुई थी उस समय आपकी सी० आई० डी० कहाँ थी? जब बन्द घर में बैठक करके तय हुआ था कि मुसलमानों पर हमला करेंगे उस समय सी० आई० डी० कहां थी, चुप थी। अब आप क्या कर रहे हैं। श्री रामेश्वर साव की हत्या के तीन घंटा के बाद पुलिस पहुंचती है। जिस घटना की चर्चा पूर्व जी ने की है क्या वह गलत? कर्पूरी ठाकुर जी के साथ श्री श्रीनारायण यादव और श्री जयप्रकाश यादव भी थे। उस समय ए० आई० सी० सी० का ही श्री वी० डी० शरण क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? वह यहां क्यों आया था? सिविल एस० डी० ओ० ने भी इनके बारे में कहा था कि वह फ्रौड आदमी था। शरण साहब कहते थे कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आप मत बोलें नहीं तो ट्रांसफर करा देंगे। सिविल एस० डी० ओ० ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वे किसलिए थे, उनका यहां क्या था? यह झगड़ा हिन्दू-मुसलमानों के बीच हुआ है। आप अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं, आपने जो अपराध किया है उससे बरी नहीं हो सकते हैं। यदि पुलिस वहां रहती तो श्री रामेश्वर साव की हत्या नहीं होती। श्री रामेश्वर साव के हत्यारे को भी गिरफ्तार करना चाहिये था। एफ० आई० आर० को भोला बाबू ने ठीक से पढ़ा नहीं है। यह सही है कि दोनों सम्प्रदायों में लोग गुण्डा किस्म के थे। यह सब आपके पाप के चलते हुआ है। आपके चलते 13 निरपराध मुसलमानों की हत्या हुई है। पूर्णिया में 145 घर जलाये गये वह क्या था? पूर्णिया जिला में श्री रघुनाथ झा बीस-सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में गये थे उसी समय वह घर जला था। घर जलानेवाले लोग कांग्रेस आई के थे। अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। दंगाइयों को अपने छत्रछाया में खड़ा किया है। फुलवारीशरीफ में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हुआ, अररिया में क्या हुआ यह सब साम्प्रदायिक दंगा है। सरकार को इसके लिए इस्तीफा करना चाहिये कम-से-कम शर्म और हया तो रखनी ही चाहिए। श्री लल्लन शुक्ल को वहां का प्रभारी बनाया और पुलिस को वहां से हटा दिया जिसके चलते 13 मुसलमानों की हत्या हुई। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराये और दोषी को सजा दे।

श्री गालिब असारी—अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के कर्पूरी ठाकुर जी तथा मुंशी लाल राय जी ने इस झगड़े को साम्प्रदायिक दंगा कहा है। लेकिन उन्हें यह

मालूम नहीं है कि कौम्यूनल राइट किसे कहते हैं। आज जब कभी हिन्दुस्तान के पैमाने पर कौम्यूनल राइट्स हुए हैं वे तीन बातों के चलते हुए हैं। कभी तो हिन्दू लड़की को मुसलमान भगा ले गया और कभी मुसलमान लड़की को हिन्दू भगा ले गया या जमीन लेकर या किसी मंदिर मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला जाता है तो दंगा होता है लेकिन बंगलवा वाला कांड कौम्यूनल राइट्स नहीं है यह तो गुंडों के दो दलों की लड़ाई है। 3 जुलाई, 1982 को जो घटना घटी है वह बहुत ही दुखद है इसमें दो राय नहीं है।

इस घटना के पीछे एक कड़ी है, एक सिलसिला है, श्री तारणी यादव जिसको लोग तारा कहते हैं, उसका एक ग्रूप था और दूसरे ग्रूप जो था वह श्री चाँद मियां का था, श्री छबीला यादव की जो हत्या हुई वह एक इसकी कड़ी है, कड़ी के चलते यह घटना घटी है, दो गुण्डों का यह एक संघर्ष है, दो गुण्डों की ग्रूप की आपसी लड़ाई है, गुण्डों का कोई जात नहीं होता है, उनका तो मकसद रहता है कि कैसे बेकसूर लोगों की हत्या की जाय, मारा जाय और कैसे अपना अहंकार को बनाये रखा जाय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो इलजाम लगाया है और डॉ० जगन्नाथ मिश्र को इस्तीफा देने की मांग की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कपूरी ठाकुर के समय टाटा में रायट हुई, कहां आपके जनसंघ लोगों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से कोई मसला हल नहीं होता है, बल्कि सरकार उसको मुस्तैदी से उसको फेस करे। तीन तारीख को घटना घटी और हमारे मुख्य मंत्री महोदय अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ 4 तारीख को घटनास्थल पर गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने देखा, वहाँ के मुसलमानों ने उनसे कहा कि यह कौम्यूनल राईट नहीं है, यह गुण्डों को रायट है। 11 बजे दिन में श्री रामेश्वर साव की हत्या होती है, श्री चाँद मियां की हत्या के बाद श्री रामेश्वर साव छिपे हुए थे, श्री चाँद मियां के ग्रूप इस फिराक में थे, यह सही है कि तीन तारीख के पहले वहाँ मिटिंग हुई थी कि श्री रामेश्वर साव की हत्या होती है तो उस पर हमला करेंगे, यह मिटिंग हुई थी। इसलिए 11 बजे दिन में जैसे ही श्री रामेश्वर साव की हत्या की गई तो उनके ग्रूप के लोग बहुत सतर्क थे, घात लगाए हुए थे और हमला किया गया। हमला में जिन लोगों को मारा गया, उसमें मासूम बच्चे थे, बूढ़े थे। वहाँ पर दो डाक्टर भी हैं, एक हैं डा० ईशाक और दूसरे हैं डा० अर्जुन साव। डा० ईशाक बहुत-ही मिलनसार थे, वे सभी को मुफ्त दवा भी देते थे, चूंकि वे होम्योपैथिक डाक्टर थे, उसमें बहुत कम पैसा लगता है। डा० ईशाक पर हमला करने के पीछे यह भी मंशा थी कि दूसरे डाक्टर ज्यादा कमा सकें। हमारे मुख्य मंत्री जब

गए तो मृतक के परिवारों को हजारो रुपये दिए, चीनी, गेहूं आदि भी बांटे। मैं इसको कौम्यूनल राईट नहीं मानता हूँ, लेकिन यह जो घटना घटी है, यह दुखद है, इस तरह की घटना दूसरी जगह भविष्य में नहीं घटनी चाहिए। यदि इस तरह की घटना घटने की कहीं संभावना हो तो सरकार को पहले ही प्रिभेंटिभ मेजर लेना चाहिए। दो क्रिमनल लड़े आपस में और बेकसूर लोग मारे जायें यह अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है, चाहे किसी जाति के लोग मरे चाहे हिन्दू मरे या मुसलमान मरे, पहले वह इन्सान है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। विपक्षी द्वारा जो यह इल्जाम लगाया गया है कि यह कौम्यूनल राईट है मैं इसको कौम्यूनल राईट नहीं मानता हूँ।

श्री लालमुनी चौबे—अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को इस सदन की बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब बिहारशरीफ में दंगा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यह बिहार का अन्तिम दंगा है। मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि यह बिहारशरीफ का जो दंगा है, यह अन्तिम दंगा है, इसके बाद नहीं होगा। असली बात को दबाने के लिए पूरे प्रदेश में ये कह रहे हैं कि यह जो बंगलवा गांव में जो दंगे हुए हैं, वह साम्प्रदायिक नहीं है, बल्कि दो अपराधकर्मियों के बीच की लड़ाई है। सदन से और तमाम लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि कौम्यूनल राईट की व्याख्या ये जिस तरह से कर रहे हैं, इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कौम्यूनल राइट की व्याख्या कह रहे हैं वह कितना हास्यास्पद है? जब किसी एक धर्म या एक कौम के लोग आपसी राग-द्वेष भूल कर दूसरे कोम या धर्म के लोगों पर हमला कर देते है तो साम्प्रदायिक या कौम्यूनल राइट होता है। कारण कुछ भी हो सकता है। इसके पीछे जमीन भी हो सकती है, मन्दिर, मस्जिद भी हो सकता है। कुरान, महाभारत, रामायण का फाड़ा जाना भी हो सकता है। तस्करी और गुंडाइज्म भी हो सकता है। जमीन की बढ़ती हुई भूख बिहार के कोने-कोने से वर्षों से उठ रही है। बिहार शरीफ में दंगे का कारण जमीन थी और फुलवारी शरीफ में भी जो दंगा हो रहा है उसका कारण जमीन है। बंगलवा में भी खेती लायक जमीन का चालीस प्रतिशत मुसलमानों के कब्जे में है। दूसरी जाति के लोग वहां संगठित होकर इन्हें उजाड़ देना चाहते हैं और इनकी जमीन ले लेना चाहते हैं, वहां दंगा का मूल कारण यही है। दूसरा अगर यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं होता और इसके पीछे कंसपीरेसी नहीं होती तो पुलिस वहां से दंगा के दो दिन पहले क्यों हट

जाती ? सिराजुद्दीन की बेटी जो छः माह की थी जिसका नाम सबाना था वह किस गिरोह की थी ? सिराजु के जुड़वे बच्चे किस गिरोह में थे ? मरनेवालों में पांच 65 से 70 साल के बूढ़े हैं, ये किस गिरोह के साथ थे ? बाकी सभी बच्चे जिनकी उम्र आठ साल से छः माह तक की है क्या ये चांद मियाँ के कोई रिश्तेदार थे या उनके घर के थे ? सिराजुद्दीन की पत्नी जिसके साथ आठ लोगों ने बलात्कार किया, उसके स्तन काट लिये और इसके बाद उसके गुप्तांग में भाला भोंक दिया गया यह किस गिरोह की अपराधिनी थी ? क्या यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था जिसमें आठ साल के बच्चे को कुएँ में फेंक दिया गया 5 जुलाई को ? देवकी के हाथ से जिस तरह से कंस बच्चा छिन कर पटक देता था उसी तरह से अपराधियों ने सबाना को पटक दिया। अध्यक्ष महोदय, शब्दकोष में ऐसा कोई सपूत शब्द नहीं है जिससे इस वेदना को व्यक्त किया जा सके। इसके पीछे अपराध मुख्य मंत्री का है। अपराधियों को चढ़ाने के लिये एक सवारी होती है उसके मुंह में पोतने के लिये एक रंग भी होता है एक ऐसा रंग भी है जिसका माथे पर टीका दे दिया जाता है। इन सभी का प्रयोग जगन्नाथ मिश्र पर होना चाहिये और इस निर्मम और जघन्य अपराध के लिये उनको आम लोगों में इसी तरह से करके घुमाना चाहिये। पुलिस को वहाँ से हटाया क्यों गया ? अगर सिपाहियों को डायरिया हो गया था, तो बिना सूचना के कैसे भागे और मजिस्ट्रेट कैसे घटना स्थल छोड़ कर भाग गया ? पुलिस को पता था कि दो गिरोह में झंझट चल रहा है तो जानबूझ कर छुटी। तो साफ जाहिर होता है कि दंगा साम्प्रदायिक है। श्री रामेश्वर साहू की मरने की घटना और उनके मौत के बाद पुलिस को पता चला। घटना पहले घट जाती है और तब पुलिस को पता लगता है। श्री रामेश्वर साहू के मरने के बाद दंगा शुरू हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है बल्कि यह प्री-प्लान था कि जमीन पर दखल किया जाय। जिस तरह की घटना बंगलबा में हुई है, इसमें कोई भी नैतिकतावादी और आदर्शवादी जीवन रखने वाला आदमी अपने पद से हट जाता। इसलिये मेरा कहना है कि आप भी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऐसा गद्दी से हट जायें।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल होने लगा)

यह घटना सारे देश को कलंकित करता है, अतः आप इस्तीफा दे दें।

(फिर शोरगुल होने लगा)

अध्यक्ष—आप बैठ जायें।

श्री महावीर चौधरी—अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री पूर्वेजी ने जो प्रस्ताव लाया है, मुंगेर जिला के बरहुरा थाना के बंगलबा गाँव का—कि यह साम्प्रदायिक दंगा है, यह

गलत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां पर दो अपराधकर्मी का ग्रूप पहले से ही लड़ रहा था। बंगलवा गांव धरहरा थाना के जंगल की ओर पहाड़ पर है। वहां पर क्रीमनल लोग बराबर आते जाते रहते हैं। वहां पर वर्षों से एक ग्रूप से दूसरे ग्रूप का झगड़ा था। इन दोनों अपराधकर्मी के ग्रूप में दोनों सम्प्रदाय के लोग हैं। एक ग्रूप में सर्वश्री तारणी यादव, छबीला यादव, रामेश्वर साहू, रमेश पासवान और छेदी मियाँ हैं और दूसरे ग्रूप में वंश रोपन यादव, चाँद मियाँ, परमेश्वर मण्डल, अजबर मियाँ, तिलो मण्डल और राजेन्द्र साव थे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि दोनों ग्रूप में दोनों सम्प्रदाय के लोग थे। जिसमें से कुछ मारे गये। श्री छबीला यादव, जिस दिन प्रमुख चुने गये, उसी दिन श्री चाँद मियाँ के ग्रूप वाले ने चुनाव के दिन ही उन्हें हत्या कर दी। फिर तीन दिन बाद श्री छबीला यादव के ग्रूप ने श्री चाँद मियाँ की हत्या कर दी। फिर क्या हुआ कि दोनों क्रिमनल लोगों के ग्रूप ने एक दूसरे की हत्या करने के लिये तुल गये और दोनों में हर जमायत के लोग थे। वहां पर कुछ घर भी जलाये गये। अगर साम्प्रदायिक दंगा रहता तो फिर चुनचुन कर घर नहीं जलाया जाता। बंगलवा गांव की जो स्थिति है और घर जो जलाया गया है, उसमें अगर लगातार 5 घर मुसलमान का है तो 4 घर जला दिया गया है और एक घर छोड़ दिया गया है और कहीं पर 1 घर जलाया गया है तो 4 घर मुसलमानों का छोड़ दिया गया है। अगर साम्प्रदायिक दंगा रहता तो एक घर को भी नहीं छोड़ा जाता। साम्प्रदायिक दंगे का नाम जो लिया जा रहा है वह गलत बात है। वहां क्रिमिनल के दो जमायत हैं उन्होंने ऐसा किया है। श्री रामेश्वर साहू के मरने के बाद उसका बदला लेने की भावना से कुछ बातें हुई। इसमें कुछ गलत लोग भी पकड़े गए और मारे गए हैं। यह सही है लेकिन यह कहा जाय कि सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर मिली पुलिस वहां गयी, माननीय मुख्य मंत्री दूसरे ही दिन गए, आई० जी० और डी० आई० जी०, भागलपुर वहां गए और हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जिनको जो सहायता देना चाहिए था वह दिया। मैं यह मानता हूं कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारे यह कोई मनुष्यता नहीं है। सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ काफी इन्तजाम किया है। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि जहां कमजोर वर्ग के अधिक लोग रहते हैं, वहां उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। माननीय सदस्यों ने सरकार पर तोहमत लगाया है कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की या संभावित साम्प्रदायिक दंगे को रोकने में असफल रही यह गलत बात है। वहां दो क्रिमिनल गुट में झगड़ा था और यह 10 साल से

चला आ रहा था उसी में बदले की भावना से ये हत्यायें हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्थिति हुई है वहाँ उसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाता है और दहल जायगा, कोई उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे-छोटे बाल-बच्चे मरे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने मृतक के परिवार को 5 हजार रुपया देने की घोषणा की है इसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया जाय और उनको पुनः बसाने का इन्तजाम किया जाय। यही मुझे कहना था।

श्री राजमंगल मिश्र—अध्यक्ष महोदय, कहना यह है कि बंगलवा गाँव में जो घटना घटी, उसमें 13 आदमियों की जानें गयीं और यह सरकार जानती है, कुछ दिनों से, माननीय सदस्य, श्री मुंशी लाल राय का कहना है कि 1978 से और श्री राजो बाबू और रघुनाथ झाजी का कहना है कि 1975 से, दो गुटों में झंझट था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब 1975 या 1978 से झंझट था तो इतने दिनों तक सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की? सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, यह सरकार फेलियोर रही है। मैं नहीं कहता मुख्य मंत्रीजी इस्तीफा दे दें, दिल्ली से जब आदेश आयेगा तो ये इस्तीफा देंगे तो मैं यह कह रहा था कि यह सरकार की जिम्मेवारी थी कि जब 1975 या 1978 से झंझट था तो वहाँ पर पुलिस तैनात करती तो यह घटना नहीं घटती। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है, दो गुंडों के बीच का आपसी झगड़ा है लेकिन इस झगड़ा के चलते 13 व्यक्तियों की जानें गयीं, इसे सभी लोगों ने माना है कि इसमें कुछ निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए। सरकार को तो अख्तियार है, अधिकार है कि ऐसे तत्वों को जेल में बन्द कर दें, आप उनको पहले से जेल में बन्द कर सकते थे। माननीय सदस्य, श्री लालमुनी चौबे का कहना है कि वहाँ पर पुलिस को भेजना सरकार का काम है। सरकार ने पहले से पुलिस नहीं भेजी, कोई कार्रवाई नहीं की, यह सरकार का फेलियोर है। भोला बाबू कहते हैं कि यह दो गुंडों की लड़ाई है, गुंडों की लड़ाई हो या शरीफ की लड़ाई हो, लेकिन इस घटना में 13 व्यक्तियों की जानें गयीं, निर्दोष व्यक्ति मारे गए। भोला बाबू ने सी० पी० आई० एवं आर० एस० एस० के बारे में कहा। मैं उनसे कहता हूँ कि भोला बाबू, आपको तो सी० पी० आई० का भी ज्ञान है और कांग्रेस का भी ज्ञान है, दोनों का रस आपने पीया है, आप जानते हैं कि सी० पी० आई० क्या है, कांग्रेस क्या है? आपसे मैं कहता हूँ, आपने कहा कि पहले प्रमुख की हत्या हुई, तो आपने सरकार को कभी इसके बारे में कहा? वहाँ पर स्थिति ऐसी है, वहाँ के लोगों की हालत ऐसी है, इसके बारे में कभी कहा? तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री के साथ लेकर सदन की कमिटी बनावें। मैं चाहता हूँ कि सदन की कमिटी बनायी जाय,

उस कमिटी में सदन के माननीय सदस्य रहें, उस कमिटी के सामने वस्तुस्थिति रखी जाय तभी सारी बातें स्पष्ट होंगी।

अध्यक्ष महोदय, आज सारे प्रान्त में क्या हो रहा है? सारे प्रान्त में आग लगी हुई है, सारा प्रान्त जल रहा है और आप कहते हैं कि यह दो गुंडों के बीच का झगड़ा था। जबतक लोग मिल-जुलकर नहीं रहेंगे, अच्छा वातावरण नहीं बन सकता। हम अपने भाइयों से कहते हैं कि जिस देश में रहते हैं, उस देश से प्रेम रखना चाहिए, अपने भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, मिल-जुलकर काम करना चाहिए और ऐसा वातावारण बनायें, जिससे इस तरह की घटना भविष्य में न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री राजेन्द्रनाथ दां—अध्यक्ष महोदय, बंगलवा गांव में जो घटना घटी, वह कोम्यूनल नेचर का झगड़ा नहीं था, यह दो अपराधकर्मियों के बीच का झगड़ा था। कोम्यूनल रायट का कलर देकर अपराधकर्मियों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह झगड़ा किसी मन्दिर, मस्जिद, गाय, सूअर, कब्रिस्तान का नहीं था बल्कि यह झगड़ा दो अपराधकर्मियों के बीच का आपसी झगड़ा था। पहले एक अपराधी रामेश्वर साह की हत्या कर दी गयी, उसके बाद झूठी अफवाह फैलाई गयी जिसके कारण ऐसी घटना घटी और इस घटना में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, इसमें निर्दोष व्यक्ति भी मारे गये। यह कोम्यूनल रायट नहीं था क्योंकि यह साबित किया जा सकता है कि दोनों सम्प्रदाय के लोगों में, हिन्दू और मुसलमानों के बीच कोई द्वेष नहीं है, वे मिल-जुलकर रहना चाहते हैं। हम भी वहाँ पर गये थे। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि वहाँ पर हिन्दू और मुसलमान के बीच कोई झगड़ा नहीं है। श्री लालमुनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस वालों ने झगड़ा करवाया। हम उनसे यह कह देना चाहते हैं कि हमलोग सभी लोगों से मिल-जुलकर रहना चाहते हैं, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी भाई-भाई हैं। हमलोग कभी मुसलमान का विरोध नहीं करते हैं। इस देश में सभी हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी लोग भाई-भाई बनकर रहेंगे, मिल-जुलकर रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस घटना को रोकने के लिये बड़ी तत्परता दिखाई है। घटना स्थल पर हमारे मुख्य मंत्री, डा० जगन्नाथ मिश्र जी और आई० जी० गये थे। वहाँ पर तुरत पुलिस की पोस्टिंग की गयी जिसके कारण वहाँ पर कोई दूसरी घटना नहीं घटी। दूसरी घटना घटी,

इसके लिए कुछ लोग तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारी सरकार ने तुरत पुलिस की व्यवस्था वहां पर कर दी और उनकी चेष्टा को विफल कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी ने मृतक परिवार के लोगों को पैसा दिया है, उनकी सहायता की है। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ हमलोग कोई ऐसा काम न करें जिससे कि भाई-भाई में झगड़ा हो, कौम्यूनल रायट हो। हमलोग सभी मिल-जुलकर रहें।

श्री रामदेव सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुंगेर जिला का सवाल उठाया गया है, मैं मुंगेर जिला के ला ऐन्ड ऑर्डर के बारे में विगत दो वर्षों से कह रहा हूँ। मुंगेर में जो हालात है उसके सम्बन्ध में मैं विगत दो वर्षों में दस, बारह ऐडजार्नमेन्ट मोशन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हूँ। अगर इस ओर सरकार ध्यान दिये हुए होती तो आज वहां यह घटना नहीं घटती। (शोरगुल) अध्यक्ष महोदय के पास हमने खासकर तारापुर, खड़गपुर और मुंगेर के मुफस्सिल के बारे में विगत् दो वर्षों में ऐडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था लेकिन ध्यान नहीं दिये, सरकार से जवाब दिलवाये लेकिन उसके बाद भी कोई ऐक्शन नहीं हुआ। पिछले दो वर्षों के अन्दर सैकड़ों लोगों की दिनदहाड़े मुड़ी काट ली गयी। सरकार कहती है कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। (शोरगुल) यह सवाल पूरे बिहार का है। यह सिर्फ मुंगेर के बंगलवा गांव का सवाल नहीं है। आज रोज अखबार में देखते हैं कि फलां जगह इतने आदमी की मुड़ी काट ली गयी। खासकर मुंगेर जिला की बात को लीजिए। मैं मुंगेर जिला की बात को कहना चाहता हूँ। बंगलवा में गत दस वर्षों से गुण्डों का गिरोह दो भाग में बटा हुआ था। वहां पर पुलिस के द्वारा सही ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वहां के पुलिसकर्मियों ने, वहां के जिलाधिकारी ने गुण्डों को प्रोत्साहन दिया। दोनों ग्रुप के गुण्डों को कहा कि हम तुमको विधायक बना देंगे, हम तुमको लीडर बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, गुण्डों को जेल में रहना चाहिए था। गुण्डों के साथ ऐसा होना चाहिए था कि तुम सैकड़े लोगों को मारे हो, मारते हो, इसलिए तुमको जेल में रहना चाहिए। लेकिन उनको वहां का नेता बना दिया गया। जिन तमाम लोगों का नाम आप लोग ले रहे हैं वे वहां के आज माली आदमी हैं, वहां के पैसेवाले लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठता है कि यह कैसे हुआ? इस काण्ड को किसने करवाया? सरकार ने करवाया, चाहे सरकार जिसकी भी हो। यह कितनी गंदी बात है। अध्यक्ष महोदय, रामेश्वर साह को 11, 11-30 बजे मारा गया तथा और छः आदमी मारे गये और फिर 13 आदमी की मौत हुई। इसमें महिला भी है। महिला के साथ-साथ बच्चा भी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दिन ऐसी नौबत क्यों हुई? गुण्डा को नहीं

रोकने से यह साम्प्रदायिक दंगा हो गया। आप कहते हैं कि उस दिन साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ बच्चा कौन क्रिमिनल था। औरत कौन क्रिमिनल थी। वह बेचारी खेतिहर मजदूर थी। उसके घर में खर्ची नहीं था। जब मैं वहाँ देखने गया तो पता चला कि वह 8 दिन से भूखी थी। इस सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए था। वहां लोगों को मात्र ढाई किलो गेहूँ दिया गया है। तमाम लोगों को वहां भूखा रहना पड़ रहा है। उनके पास जलावन नहीं है। इसलिए सरकार को इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। यह कितने शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री भाग गये क्या उनको हिम्मत है मेरी बातों को सुनने के लिये ? यह हालत है मुंगेर के बंगलवा गांव की। वहां के लोगों को भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तीन दिन पहले मैं वहां गया था। मालूम हुआ कि जब दंगा होने को हुआ तो वहां से फोर्स हटा लिया गया। वहां से आधा कि० मी० पर शंकरवा बांध पर एक दर्जन फोर्स और मैजिस्ट्रेट थे।

(इस अवसर पर सदन में बिजली गुल हो गयी)

अध्यक्ष महोदय, जब वहां आप जायेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। सरकार को उसके लिये व्यवस्था करनी चाहिए, भागने से काम नहीं चलेगा। आज से दो दिन पहले हमारे दल के नेता को गोली से मार दिया गया जब वे स्कूल जा रहे थे। इस तरह की मुंगेर में आए दिन घटना घटते रहती है।

श्री मोतीउर रहमान—अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में बंगलवा हत्या कांड के सम्बन्ध में बहस हो रहा है। मैंने श्री राजकुमार पूर्वे, श्री लालमुनी चौबेजी, श्री मुन्शीलाल राय जी ने जो बातें कही उसको सुना। इनलोगों की बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि बिहार में किसी भी तरह की घटना हो ये साम्प्रदायिक कलर देंगे और हरिजन की बात कहकर दंगा फैलायेंगे—अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे। उनकी मन्शा शुरू से रही है कि सारे हिन्दुस्तान में, सारे बिहार में कांग्रेस सरकार को बदनाम करें। तरह-तरह की बातें कहकर गलत ढंग से बयान देकर किसी भी घटना को साम्प्रदायिक कलर दिया जाता है। सारे बिहार में घूमघूमकर इस तरह की बातें की जाती है। श्री कर्पूरी ठाकुर जो लोक दल के नेता हैं हमको इस बात का पता नहीं था कि वे भी भारतीय जनता पार्टी के राह पर चलेंगे। हमको नजदीक से भारतीय जनता पार्टी को देखने का मौका मिला है। आज हम देख रहे हैं कि सारे

विरोधी दल के लोग बिहार में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, हरिजनों पर जुल्म करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहते है। इस तरह के नापाक साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन्शा है कि किसी न किसी तरह से घटना करवा कर उससे राजनीतिक लाभ उठावें। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि बिहार के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखें ताकि राज्य में साम्प्रदायिक आग नहीं भड़कने पावे। कर्पूरी ठाकुर से उम्मीद नहीं थी कि वे भी इस तरह की घटना को साम्प्रदायिक घटना का रंग देंगे और राजनीतिक लाभ उठावेंगे। मुझे अफसोस है कि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्य मन्त्री थे तो जमशेदपुर में दंगा चल रहा था—महीनों तक चलता रहा और वे कभी उसे कन्ट्रोल करने की कोशिश नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी उसके गोद में ये खेल रहे थे और इनकी हिम्मत नहीं थी कि वे इसके सम्बन्ध में कुछ कहते। हिन्दू-मुस्लिम जो एक साथ रहते हैं, हो सकता है किसी चीज को लेकर, किसी मामले को लेकर या क्रिमीनल मामले को लेकर झगड़ा हो सकता है लेकिन उसको साम्प्रदायिक कलर नहीं दिया जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि वहाँ के मुसलमानों की जमीन यादव लोग जोतते थे और वह जमीन जब मुसलमान को दे दी गयी तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। यह एक कारण हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इसलिये सरकार उस पर कड़ी नजर रखे। अच्छे लाल सिंह जिनका झगड़ा में हाथ है। जो मैजिस्ट्रेट वहाँ पोस्टेड थे उन्होंने ड्यूटी नहीं किया इसलिये उनपर भी 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी—अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी का भूतपूर्व गृह मन्त्री और होने वाला राष्ट्रपति इन्दिरा गांधी का तारीफ करता हो उस पार्टी के मुख्य मन्त्री और उस पार्टी के लोग उस रास्ते पर चलते हैं तो ताज्जुब की बात क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं बंगलवा गया था और वहाँ चौदह आदमियों की हत्या हुई है जिसमें तेरह मुसलमान हैं और एक हिन्दू। वहाँ घर जलाये गये, लूटे गये उसके बाद भी मुख्य मन्त्री कहते हैं दंगा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चाहे गिरीडीह का प्रश्न हो, बिहार शरीफ का प्रश्न हो, चाहे पूर्णियां के इलाका का प्रश्न हो—हर जगह वे सच्चाई से कतरा रहे हैं। इस तरह की इनकी हालत हो गयी है। वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं और नहीं कहते हैं कि वहां पर दंगा हुआ है।

स्टेट्समैन में निकला कि 25 तारीख को ही वहां के लोग मुंगेर के जिलाधीश से मिले थे और दंगा के बारे में षड्यंत्र चल रहा था उसके बारे में बताया था लेकिन जिलाधीश ने उनको चैम्बर से निकलवा दिया और कहा कि इस तरह के गलत रीऊमर फैलायेंगे तो जेल भेज देंगे। पहले से ही नियोजित ढंग से बातें चल रही थी कि वहां पर मुसलमानों पर हमला किया जायेगा।

और वहां के मुसलमानों पर हमला हुआ जिसमें ये सारी घटनायें घटी। दुर्भाग्य की बात है यह सरकार नहीं मानती है तो उसकी जांच सी० बी० आई० से करायें। इसी तरह विसफी में श्री नुरुद्दीन का नाम था, दारोगा ने कहा कि गुण्डा ऐक्ट में इसको भेजिये, लेकिन मुख्य मंत्री ने उस दारोगा की बदली कर दी। इस तरह दंगाइयों को बढ़ावा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां रिलीफ का कोई काम नहीं हुआ है बल्कि सब गलत कहा गया है। मुख्य मंत्री को इसके बारे में ठोस कारंवाई लेनी चाहिए।

श्री सिद्धनाथ राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना घटी है और जिस घटना के बारे में पिछले दिनों से जोर-शोर से चर्चा हमारे विरोधी दल के लोग करते रहे हैं, उस ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह घटना बंगलवा और छिलका की है जिन लोगों की बातें अभीतक सामने आई है उनमें कई ऐसे अपराधी हैं जो आग भड़काने का काम किया है। जो लोग गरीब लोगों को सताते रहे हैं और जो ठीकेदार के रूप में पी० डब्लू० डी० में, आर० ई० ओ० में और वन विभाग में काम करते हैं, उन्हीं लोगों ने इन गांवों में हत्या कराने का षड्यंत्र किया है। जो लोग कहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगा है वे इस बात की इन्क्वायरी करावें कि इन दंगों में ऐसे राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं का हाथ रहा है जो मुंगेर की राजनीति में ऊपर उठने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रमुख बनने का प्रयास करते रहे हैं। वह श्री अक्षय-कुमार कौन हैं? मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें कि उस व्यक्ति का हाथ इस दंगे के पीछे रहा है या नहीं? वहां जाकर वे हत्या कराये हैं और दंगा को भड़काने का काम किये हैं। इसमें वैसे राजनीतिक लोगों का हाथ रहा है। इनलोगों ने उकसाया है और बंगलवा एवं छिलका गांव में जाकर साजिश की है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह अक्षय कुमार कौन है उसकी जांच करावें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश में या प्रदेश में दंगा होता है तो निश्चित रूप से हमारा देश कलंकित होता है। दंगा चाहे किसी सरकार के जमाने में हो लेकिन दुनिया में बदनामी फैलती है, हमारे सारे मुल्क की बदनामी फैलती है कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सद्भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, शान्ति नहीं है। इसलिये

को भी घटना घटती है, चाहे जमशेदपुर की घटना हो, चाहे बिहारशरीफ की घटना हो, चाहे पूर्णियां जिले के अररिया की घटना हो या फुलवारी शरीफ की घटना हो या बंगलवा की घटना हो, निश्चित रूप से हमारे देश का दुर्नाम सारे संसार में फैलता है। मैं किसी साम्प्रदायिक दंगा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम बंगलवा गये थे अपने साथियों के साथ। श्री जाबिर हुसैन प्रोफेसर, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री मुंशीलाल राय, श्री जयप्रकाश नारायण यादव और उस क्षेत्र के विधायक श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा हमारे साथ गये थे। हमलोग छानबीन की, जांच पड़ताल की, हिन्दू और मुसलमानों से बातें की, हमलोगों ने उचित समझा कि प्रशासनिक अधिकारियों से बातें करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस निष्कर्ष पर आया हूं वह यह है कि वहां 19 जून से 29 जून तक पुलिस फोर्स की तैनाती थी मगर 29 जून को वहां से पुलिस फोर्स गायब हो गयी। वहां एक मैजिस्ट्रेट तैनात थे, एक जमादार, हवलदार और सिपाही तैनात थे लेकिन बिलकुल रहस्यमय ढंग से 29 जून को बिना किसी सूचना के वहां से फोर्स गायब हो गया। 28 जून को लगभग 500 लोग इकट्ठा हुए बन्दीथान नामक स्थान में और वहीं यह निर्णय लिया गया था जिसके फलस्वरूप यह घटना घटी। ये कहते हैं कि दो गिरोह की लड़ाई थी। इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जांच की थी, इस बात को कि 28 जून को बंदीथान में जो मिटिंग हुई और निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप हमला हुआ। यह हमला सिर्फ मुसलमान पर हुआ और 3 तारीख को जो भी मारे गये वे सभी मुसलमान थे, बच्चे थे, औरत थीं, जवान थे, बूढ़े थे। 13 घर लूटे गये वे भी मुसलमान थे, जिनके घर में आग लगायी गयी वे भी मुसलमान थे। अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख को जो घटना घटी वह साम्प्रदायिक घटना नहीं थी तो क्या थी? ऐसी बात नहीं थी इसमें हिन्दू क्रिमनल और मुसलमान क्रिमनल आपस में लड़ रहे थे। हमारे माननीय सदस्य श्री भोला सिंह जिन्हें मार्क्सवाद का बहुत अध्ययन है उनका मार्क्सवाद कहां चला गया कांग्रेस में प्रवेश करते ही। दिनांक 3 सितम्बर, 1975 से जिन लोगों की हत्या हुई क्या वे सामाजिक हत्यायें हुई हैं? दो महीने के बाद फिर हत्या हुई, फिर पांच महीने के बाद हत्या हुई इस तरह से जो हत्यायें होती रही उसको 3 तारीख की हत्या से क्या मतलब है। करेली गांव में श्री रामेश्वर साव की हत्या हुई और डेढ़-दो घंटे के बाद पांच हजार लोग इकठ्ठे हो गये, मुसलमान को लूटा, घर जलाया, जान से मारा, पछाड़-पछाड़ कर मारा और ये कहते हैं कि दो गिरोह की लड़ाई थी। कहीं दंगा हो तो मुख्य मंत्री कहेंगे कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था,

फुलवारीशरीफ में दंगा हुआ, इन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं है, बंगलवा के बारे में कहा कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं है, अररिया के बारे में इन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं था। अररिया में जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस (आई) का हाथ था। कांग्रेस (आई) का प्रमुख श्री गोपाल प्रसाद सिंह पिता श्री हरदेव नारायण सिंह अगर वहां के झगड़े को तय किये होते तो वैरवापुरी में जो घटना घटी वह नहीं घटती। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी घटना घटी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह घटना साम्प्रदायिक घटना है। अररिया में जो कुछ हुआ उसके बाद वैरवापुरी में जो हुआ उसमें कांग्रेस (आई) का हाथ था। बिसफी में जो घटना घटी उसमें श्री छोटे मियां का हाथ था वहां के कलक्टर, एस० पी० और डी० एस० पी० ने लिखा कि इस घटना में श्री छोटे मियां का हाथ है, उनकी गिरफ्तारी की जाय। मैं चैलेन्ज करता हूं कि अगर एस० पी० यह नहीं लिखा हो कि इसमें श्री छोटे मियां का हाथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, बंगलवा में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल्योर था। इनका इनटेलिजेन्स का टोटल फेल्योर रहा और यही कारण है कि बंगलवा कांड हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुसलमान पर हमला हो, हिन्दू पर हमला हो और लोग मारे जायं और सरकार उसको नहीं रोक सके तो उस सरकार को गद्दी पर रहने का एक मिनट भी हक नहीं है। इस सरकार को तुरत हट जाना चाहिये। यह हमारी मांग है।

श्री अब्दुल गफूर—अध्यक्ष महोदय, एक अजीब बात मालूम होती है कि इस हाउस के अन्दर 1952 से जब कभी राइट होती है तो रुलिंग पार्टी कुछ खास खास लोगों को ही बोलने की इजाजत देती है, बोलवाती है। श्री तालिब अंसारी और दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मालूम होता था कि जो भी दंगे होते हैं वे सभी दंगे जेनन्टिलमेन ही करवाते हैं, शरीफलोग ही करवाते हैं। हिन्दुस्तान में जितने राइट हुए हैं मालूम होता है इनके भाषण से कि शरीफ लोग ही करवाते हैं। चाहे हिन्दू मारे जायं या मुसलमान, लेकिन मारे गये इसमें तो दो राय नहीं है। जब राइट हुआ तो आपने कलक्टर को ससपेन्ड किया? पुलिस बंगलवा में पहले से तैनात थी, मैजिस्ट्रेट तैनात थे उसके बाद जब घटना घटी इसका मतलब है कि सरकार को जानकारी थी तब यह घटना घटी है।

जब यह मालूम हो जाय कि वहां यह घटना होनेवाली है और उसके बाद भी घटना हो जाय तो डर शर्म से झुक जाना चाहिये। अगर मालूम नहीं हो तो बात अलग है। लेकिन पुलिस और मजिस्ट्रेट को मालूम हो जाय कि घटना घटने वाली है और उसके

आज भी बच्चे तथा बूढ़े मारे जाते हैं तो इससे बढ़कर तकलीफ की और क्या बात हो सकती है। अब वह जमाना चला गया कि एक चीरहरण पर महाभारत की लड़ाई हो गयी। खास तौर पर हरिजन और मुसलमान तो मार खाने के लिये ही पैदा होते हैं, वे लोग मार खाते हैं और आप तथा हम उन्हीं की दुहाई भी यहां देते हैं।

श्री मो० यासीन—अध्यक्ष महोदय, बंगलवा घटना पर हाउस में जो बहस हो रही है वह एक गंभीर इसु है, यह एक नया इसु नहीं है, यह बहुत ही पुराना इसु है। आये दिन इस तरह की घटना हुआ करती है। लेकिन मैं देखता हूं कि जब से डॉ० जगन्नाथ मिश्र की सरकार बनी है बिहार में एक हवा चल रही है, ऐसी साजिश चल रही है कि बिहार की वातावरण को खराब करने की कोशिश हो रही है। अभी मैंने कर्पूरीजी के भाषण को सुना। उससे ऐसा मालूम होता है कि वे इस तरह के सवाल को उठाकर मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होनेवाला नहीं है। बंगलवा में जो मारकाट हुई है उसके पीछे क्रिमिनल लोगों का हाथ है। मरंरियां में जो घटना घटी उसके पीछे आर० एस० एस० तथा लोक दल का हाथ है। एक यादव की लड़की का रेप हुआ तो इनलोगों ने कहा कि जान से मार दो।

इस अवसर पर बहुत जोरों से शोरगुल होने लगा।

श्री नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, बंगलवा में जो घटना घटी है मुख्य मंत्री के शब्दों में वह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे मारे गये, बूढ़े मारे गये, धन-जन लूटा गया उसके बाद इस तरह का कहना क्या उचित है? वहां 28 तारीख को मिटिंग हुई जिसमें कांग्रेस आई के श्री भगवान दास डीलियां और डॉ० डी० वी० शरण हिस्सा लिये और इन सब की सूचना सरकार को थी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक नयी सूचना देता हूं कि वहां के थाना प्रभारी को भी सूचना मिल गयी थी कि बंगलवा में साम्प्रदायिक दंगा होने वाला है लेकिन वह समय पर वहां नहीं पहुंचा यदि वह समय पर पहुंच जाता तो इस तरह की घटना घटती ही नहीं। यह एक तरह से सरकार का फेल्योर है और यह सरकार साम्प्रदायिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करती है इसलिए मैं मांग करता हूं कि डॉ० जगन्नाथ मिश्र को इस्तीफा देना चाहिए। कम-से-कम बगल के चीफ मिनिस्टर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी इनको सीख लेनी चाहिए और इस्तीफा देकर मुसलमानों के प्रति उन्हें हमदर्दी दिखानी चाहिए।

श्री मो० सरफराज अहमद—अध्यक्ष महोदय, बंगलवा में जो घटना घटी है उसके पीछे पहले से कोई-न-कोई डिस्प्यूट होगा ही क्योंकि हरेक घटना के पीछे कुछ-न-कुछ पृष्ठभूमि रहती ही है। अध्यक्ष महोदय, झगड़े के बाद बी० एम० पी० का रोब बढ़ जाता है। मैं मांग करूंगा कि जहां भी इस तरह की घटना घटती हों ज्यादा संख्या में बी० एम० पी० और फोर्स की तैनाती की जाय ताकि फिर इस तरह की घटना वहां न घट सके। दूसरी बात है कि हरेक मुख्यालय में आपको फायर बिग्रेड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर वह तुरत पहुंच सके।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिले की बंगलवा कांड एक हृदय विदारक घटना है। एक सम्प्रदाय के 13 वृद्ध और नन्हें बच्चे मारे गये हैं। वे जिस निर्ममता के साथ मारे गये हैं वह सचमुच में हमलोगों के हृदय के तार को झंकृत कर देते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्व की घटनाएं जुटी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के घटित होने से पूर्व साढ़े ग्यारह बजे पूर्वाह्न में श्री रामेश्वर साव की हत्या हुई और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना में दर्जनों घर जलाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के तमाम सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चाहे वे विरोधी पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों—मेरे दोस्तों, समाज को बांटने का काम नहीं करो। हमारी देश की आजादी की लड़ाई में हिन्दू और मुसलमानों ने जो पृष्ठभूमि अदा की है, भूमिका निभायी है उसको देखते हुए मैं आप तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटना को बढ़ावा नहीं दें। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस घटना की जांच करायी जाय।

श्री समसुद्दीन खां—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बंगलवा गांव की घटना का जो चित्र रखा है वह विचित्र है। अध्यक्ष महोदय, हम वह व्यक्ति हैं जिसने अपनी आंखों के सामने आर० एस० एस० के महान नेता के कारनामें को जमशेदपुर में हुये साम्प्रदायिक दंगे में देखा है। 14 तारीख को अगर बिहार के मुख्य मंत्री, डॉ० जगन्नाथ मिश्र, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और श्री शमायले नबी नहीं पहुंचते तो वहां हजारों आदमी मर जाते। जिस समय माननीय विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्य मंत्री थे उस समय अल्प संख्यकों और हरिजनों को कोई पूछने वाला नहीं था। जैसाकि माननीय सदस्य, श्री गफूर साहब ने कहा उनकी बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। यह सच है कि हरिजन और अल्प

संख्यक के आधार पर विरोधी पक्ष के लोग उनकी दुहाई देकर अपनी पोपुलरीटी गेन करना चाहते हैं। लेकिन सही माने में अल्प संख्यक और हरिजन आदिवासियों की भलाई अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। हम इसको साबित करना चाहते हैं कि जब से हमारे माननीय मुख्य मंत्री, डॉ० जगन्नाथ मिश्र आये उस वक्त से कमीशन की रिपोर्ट आर० एस० एस० पर हुई उस वक्त से आर० एस० एस० वाले इस प्रांत में और इस देश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना चाहते हैं वे चाहते हैं कि बिहार में ही नहीं हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर अशांति फैलायें, साम्प्रदायिक दंगा करायें और सरकार को और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोकदल और सी० पी० आई० के लोग भी आर० एस० एस० के साथ हो गये हैं और वे भी उनकी चंगुल में फंसकर इस तरह की बात करते हैं। यह सच है कि जिस इलाके में घटना घटी है उस घटना के पीछे किसी-न-किसी असामाजिक तत्व का हाथ रहा है। अपराधी वर्ग का हाथ रहा है और रहता है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष महोदय, बंगलवा गांव मेरे क्षेत्र में पड़ता है और वहां मुझे तीन बार जाने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, इस घटना को देखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि आज सदन सर्वसम्मति से बंगलवा जैसी घटना के ऊपर सबको निंदा करनी चाहिए और साथ-साथ पूरे मामले की छानबीन सी० बी० आई० अथवा बिहार विधान सभा की एक समिति द्वारा करायी जानी चाहिए। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि बंगलवा से एक किलोमीटर दूर सतघरवा में पुलिस फोर्स थी लेकिन वह सूचना देने पर भी घटना स्थल पर नहीं आयी। कांग्रेस आई० के एक मंत्री वहां दो बार गए और लोकल एम० पी० और एम० एल० ए० को खबर नहीं किया गया। हाउस की कमिटी इस बात की जांच करे कि वे मंत्री वहां क्यों गए थे? मुझे दुःख है कि मुंगेर जिले के मंत्री भी आज तक वहां नहीं गए हैं। क्या उनको वहां से कोई मतलब नहीं था? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पांच हजार रुपया हर मृतक परिवारों को देने की घोषणा की है। मैं इस सदन से मांग करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि उन्हें बीस-बीस हजार रुपया स्वीकृत किया जाय।

श्री सूर्य नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, अच्छा होगा कि डॉ० जगन्नाथ मिश्र आज इस्तीफा दे दें। जिस रोज घटना घटी उसके बाद मुख्य मंत्री वहां गए थे। मैं भी मुंगेर में मौजूद था। मुख्य मंत्रीजी से पूछा जाय कि जब वे गए और जाकर वहां रिलीफ के नाम पर पांच हजार रुपया मृतक परिवार को देने की घोषणा की, ठीक है, लेकिन उनको क्या इस बात का पता है कि 14 आदमी की हत्या नहीं बल्कि

20-25 व्यक्तियों की हत्या हुई है। इस संबंध में अभी तक पुलिस को भी जानकारी नहीं है और न सरकार को ही सही आंकड़े की जानकारी है। इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री कृपा शंकर चटर्जी—अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी है इससे तो सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए और सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि श्री डी० बी० शरण बीस सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में तीन महीने पहले मुंगेर आए थे और अपने को वे आलाकमान कांग्रेस आई० द्वारा भेजे गए आदमी बताते थे। श्री डी० बी० शरण कौन आदमी है सरकार इसका पता लगाये। श्री शरण ने फोन करके पुलिस को लिखा, डी० एम० और एस० डी० ओ० को लिखा लेकिन मुख्य मंत्री ने कुछ नहीं किया। पुलिस को वहां से हटा लिया गया जिसके चलते वहां घटना घटी।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—अध्यक्षजी, बंगलवा घटना के सम्बन्ध में दो घंटे का विशेष वाद-विवाद आपने स्वीकृत किया क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए इस वाद-विवाद की अपेक्षा थी। माननीय विरोधी दल के नेता ने पिछले दिनों इस सदन में जो कुछ कहा था और आज जो कुछ कहा गया उस बात की भी संपुष्टि हुई की विषयवस्तु की गंभीरता से इस परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति पैदा हुई उसको जाने बगैर उस दिन ऐसी चेष्टा की जा रही थी कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने पावे और उसको देखते हुए अध्यक्षजी, आपको कठिन कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा।

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, इनके प्रस्ताव पर हुआ था फिर उसी बात को उठाते हैं।

(शोरगुल)

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—अध्यक्षजी, अभी माननीय विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री मुंशी लाल राय और श्री राजकुमार पूर्वे का जो भाषण हुआ उसमें कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है। हमारी अपेक्षा थी कि वहां जाने के बाद नयी बातें सदन में रखी जायेंगी जिससे हमको भी आगे की कार्रवाई करने में जांच करने में मदद होती। जहां तक श्री लालमुनी चौबे ने जो भाषण दिया उनके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि वे एक असंतुलित व्यक्ति हैं। इसलिए उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए और

सदन भी कोई नोटिस उनकी बातों का नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उनके भाषण करने का स्तर नहीं है, उन्होंने अपने भाषण में जो शब्द का प्रयोग किया वह साम्प्रदायिकता का कलर देने वाला है। कोई निष्पक्ष व्यक्ति वैसे शब्दों का प्रयोग अपने भाषण में नहीं कर सकता है। ऐसा आचरण नहीं कर सकता है।

(शोरगुल)

श्री लालमुनी चौबे—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष—इस समय कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप जब बोल रहे थे तो लोग सुन रहे थे। आप भी सरकार के जवाब को सुनिये।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—अध्यक्ष जी, श्री मुंशीलाल राय, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके भाषण से स्पष्ट होता है कि कोई जमायत, कोई व्यक्ति, कोई गिरोह कृत प्रतिज्ञ है कि इस प्रदेश और इस देश में साम्प्रदायिक दंगा का कलर किसी घटना को दिया जाय। इसका प्रमाण श्री लालमुनी चौबे के भाषण से हो जाता है जैसे शब्दों का व्यवहार उन्होंने अपने भाषण में किया है। कोई भी सभ्य आचरण करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अपने भाषण के क्रम में ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(शोरगुल)

श्री लाल मुनी चौबे—मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है……

अध्यक्ष—आप बैठ जायें। यह प्वायन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

(सदन में शोरगुल जिससे कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था।)

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—बंगलवा की जो घटना है वह साम्प्रदायिक कभी नहीं है। यदि यह साम्प्रदायिक दंगा रहता तो उसके बाद फिर कुछ घटना होती, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ है। तीन्न तारीख के बाद फिर कोई घटना नहीं घटी है इसलिये यह साम्प्रदायिक दंगा कभी भी नहीं था। अपराधियों के गिरोह का झगड़ा है। इस गिरोह का बनावट इस तरह का था कि एक गिरोह में मुसलमान बहुत ज्यादा थे साथ ही दूसरी जाति के लोग भी थे। अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। 10 मार्च, 1979 को राम खुबोखा की हत्या की गयी थी। कर्पूरी ठाकुर जो बड़े सशक्त थे तो उस समय उन्होंने उस पर कारंवाई क्यों नहीं की। दूसरे गिरोह में चांद मियाँ, असगर,

राजेन्द्र साव आदि थे। इस तरह से गिरोह का जो कम्पोजीशन था वह इस तरह का था जिसे साम्प्रदायिक दंगा नहीं कहा जा सकता है। इन्हीं दोनों गिरोहों के झगड़े के कारण श्री रामेश्वर साव की हत्या हुई। फिर 29 दिसम्बर, 1981 को श्री चाँद मियाँ की हत्या हुई। एक आदमी की हत्या होती है और वह दूसरे गिरोह के चंगुल में फँस जाता है तो दूसरे की भी हत्या होती है। मैं भी वहाँ गया था। घंटा डेढ़ घंटा तक वहाँ ठहरा, लोगों से मिला। एक खटिया पर बैठा। किसी ने दंगा की बात नहीं कही। विरोधी दल के नेता मनगढ़न्त कहानी अपने मन से बना कर कह रहे हैं यह दुखद बात है·····

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने इल्जाम नहीं लगाया है। मैंने सूचना दी है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें प्रशासन का टोटल फेल्योर है······

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—उस गाँव के लोग आपही को सूचना देने के लिये बैठे हुए थे······

श्री राजकुमार पूर्वे—हम लोगों को भी कहा गया था।

( सदन में शोरगुल )

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—कुछ खास लोग हैं, कुछ खास पार्टी के हैं। ये लोग घूम घूम कर ऐसी बातों का प्रचार में लगे रहते हैं। ये लोग छद्म वेश में लोगों को गुमराह करते रहते हैं। यह बात श्री जीतेन्द्र नारायण सिंह कमीशन के रिपोर्ट से साफ हो गई है। उसमें माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी और बाल मुनी चौबे जैसे व्यक्ति रहते हैं······

श्री जनार्दन तिवारी—यह सफेद झूठ है, झूठ है······ ।

( सदन में शोरगुल )

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—पुलिस की जहाँ तक प्रतिनियुक्ति की बात है, यह बात सही है कि 31 मई, 1982 से, इसके पहले से नहीं, 31 मई, 1982 को कोई सूचना नहीं थी कि कोई साम्प्रदायिक दंगा है। रामदेव यादव मुंगेर जिला का अपराधकर्मियों का गिरोह चला रहे हैं, सरकार की तरफ से काफी सख्ती की जा रही है और काफी लोगों का निर्मूल किया भी है, सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि अपराधियों को पूर्णतः समाप्त करना है, इसके लिये पुलिस को पूरी हिदायत दी गयी है कि अपराधकर्मियों के खिलाफ कारंवाई की जाय, उन अपराधकर्मियों के खिलाफ ही वहाँ पुलिस का डिपुटेशन हुआ, वहाँ पर साम्प्रदायिक दंगा या गाँव में तनाव की बात नहीं थी। यह बात सही

है कि घटना के दिन पाया गया कि गाँव में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा फोर्स अपने प्रतिनियुक्ति स्थान से अनुपस्थित थे। जाँच में पाया गया कि डी० ए० पी० हवलदार (श्री पागन टुड्डू) तथा होमगार्ड के जवान (श्री उपेन्द्र कुमार) बिना सूचना दिये पोस्ट से 7 जून, 1982 से फरार हो गये। डी० ए० पी० सिपाही (श्री दिनेश कुमार) 23 जून, 1982 को बीमार पड़कर मुंगेर चले गये। पुलिस बल के प्रभारी, सहायक अवर निरीक्षक (श्री जे० पी० वर्मा) 8 दिन की छुट्टी लेकर 29 जून, 1982 को छुट्टी में प्रस्थान कर गये। इस प्रकार डी० ए० पी० का एक सिपाही और 3 होमगार्ड के जवान शेष रह गयें जो 29 जून, 1982 को बरहरा थाना लौट गये क्योंकि बल कमजोर पड़ गया था। दंडाधिकारी पोस्ट से अनुपस्थित थे ही। चूँकि इन लोगों ने बगैर डी० एम० को सूचना दिये ही चले गयें, इसलिये तत्काल सरकार की तरफ से तुरत कारंवाई की गयी। तत्कालीन मजिस्ट्रेट जो तैनात किये गये थे, उनको ससपेण्ड कर दिया गया और जिन लोगों ने छुट्टी में प्रस्थान कर गये उनके विरुद्ध भी कारंवाई की गयी। सरकार ने ससपेण्ड करने और विभागीय कारंवाई तब ही शुरू कर दी जैसे ही सरकार को सूचना मिली।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

इसके बाद एक मजिस्ट्रेट, जिनको ड्यूटी दिया गया, उन्होंने इनकार किया, डिप्टी कलक्टर श्री सिंह, डी० एम० के कहने के बावजूद भी काम करने नहीं गये, इनके विरुद्ध कारंवाई की गयी है। कलक्टर के स्तर पर, डी० एम० के स्तर पर जानकारी रही है, जिस समय सरकार को जानकारी मिली तो सरकार ने तुरत उनलोगों के विरुद्ध कारंवाई की।

श्री कर्पूरी ठाकुर, मुसलमानों की चर्चा करते हैं, जमशेदपुर के दंगे में जब मुसलमानों की हत्या हुई तो इन्होंने पाँच सौ रुपया दिया, यह कमीशन की रिपोर्ट में है, इनएडयूकेट सहायता की गयी, 500 रुपया मुसलमानों को इन्होंने दिया और ये मुसलमान की बात करते हैं। अररिया के श्री गोपाल सिंह और श्री हरेन्द्र सिंह की बात है, ये कांग्रेस (आई०) के नहीं है, बल्कि माननीय सदस्य श्री तसलीमउद्दीन के आदमी हैं।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

जमशेदपुर के दंगे के बारे में माननीय सदस्य श्री पूर्वे जी ने कहा कि हमारी सरकार में फॉलो-अप ऐक्शन नहीं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ श्री कर्पूरी ठाकुर सपना में भी

नहीं सोच सकते हैं, श्री दीनानाथ पाण्डेय और अन्य लोगों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया है।

( इस अवसर पर सभी विपक्षी दलों के मा० सदस्य सदन से वाक-आऊट किये । )

इस घटना को सरकार ने इतना महत्व दिया कि तीन तारीख को घटना होती है और 4 तारीख को चीफ सेक्रेटरी और आई० जी० के साथ में घटनास्थल पर पहुँचता हूँ, सरकार द्वारा तत्क्षण कारंवाई की गयी, तुरत पाँच-पाँच हजार उन लोगों को अनुग्रह अनुदान दिया गया, 1,500 रुपये चिकित्सा अनुदान दिये गये, एक महीना का मुफ्त खाद्यान्न पीड़ित परिवारों को दिया गया। फिर जो सम्पत्ति बर्बाद हुई, उसका मुआवजा देने के लिये अभी जो सूचना मिली है, उसके अनुसार एक लाख की क्षति का अनुमान दिया गया है, वह भी दिया जायगा। बंगलवा में सरकार की कहीं विफलता नहीं है, बहुत मुस्तैदी और बहुत चतुराई और सद्भावना से सरकार ने मुकावला किया है।

इनके भी विरोधी दल के श्री डी० पी० यादव ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। राजनैतिक द्वेष से विरोधी पार्टी के लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और इसपर वाद-विवाद कराने का कोई औचित्य नहीं है। वे लोग निरर्थक बिहार की जनता के मन में हमारी सरकार के खिलाफ प्रचार करना चाहते हैं। हमारी सरकार किसी भी हालत में साम्प्रदायिक दंगा को बर्दास्त नहीं कर सकती है। हमने आर० एस० एस० और जनसंघ पर सख्त कारंवाई की है, इसीसे वे लोग परेशान होकर हमारी और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और वैसे लोगों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कारंवाई करेंगे।

( थपथपी )

---

अध्यक्षीय घोषणा।

अध्यक्ष—एक सूचना मुझे सदन को देनी है। श्री हरेन्द्र किशोर सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा ने मुझे सूचित किया है, जो बिहार विधान-सभा चुनाव क्षेत्र संख्या 37, मधरख से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गये हैं, कांग्रेस (इ) में सम्मिलित हो गये हैं।

दूसरे श्री चन्द्र मौलेश्वर सिंह "ललन" सदस्य, बिहार विधान-सभा ने सूचित किया है, जो बिहार विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 175, देलहर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गये हैं, कांग्रेस (इ) में सम्मिलित हो गये हैं।